

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2443  
दिनांक 21.12.2022 को उत्तर देने के लिए

अवैध रेत खनन

†2443. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जलपाईगुडी जिले की विभिन्न नदियों में नदी तल से अवैध रेत खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अवैध रेत खनन के कारण आसपास के इलाके में वर्षों से मिट्टी का कटाव हो रहा है और बाढ़ आ रही है तथा कई चाय बागान, कृषि क्षेत्र और जंगल बारिश के मौसम में जलमग्न हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप भूमि या संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) इन नदी तलों से खनन के मानदंड और मौजूदा नियमों के अंतर्गत इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 3(ड) के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए उत्खनन पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतें प्रदान करने को विनियमित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है। अतः, गौण खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों के वैधानिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अतः, अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकारों के वैधानिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है।

तथापि, खान मंत्रालय ने रेत खनन में स्थिरता, उपलब्धता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के उद्देश्यों से राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए राज्यों के खनन विभागों के परामर्श से 'रेत खनन फ्रेमवर्क' तैयार किया है। 'रेत खनन फ्रेमवर्क' को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेत खनन के विनियमन से संबंधित मुद्दों का समाधान है।

\*\*\*\*\*